kg to Rs. 5.10 per kg., consequent upon an increase in the statutory minimum price of sugarcane for 1987-88 season from Rs. 17/- to Rs. 18.50 per quintal linked to 8.5 per cent recovery and higher manufacturing cost of sugar determined for the production of the sugar year 1987-88.

Implementation of Crop Insurance Scheme

475. SHR F. M. KHAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the names of the various States which have implemented so far the Crop Insurance Scheme and the areas covered thereby State-wise;

(b) the details of the crops to be insured, State-wise;

(c) the benefits to be accrued to farmers by the scheme;

(d) the steps Government have taken to bring the remaining States under the Crop Insurance Scheme; and

(e) the steps Government propose to take to protect poor farmers in the intervening period?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) to (c) The names of the States which have so far implemented the Comprehensive Crop Insurance Scheme, areas and crops covered, and benefits by way of indemnity claims accrued to the farmers under the Scheme are given in the enclosed Statements I and II. [*See* Appendix CXLV, Annexure No. 20].

(d) and (e) The Scheme is voluntary in nature. The State Governments are free to opt for the Scheme. Earlier, the indemnifiable limit for all crops was 80 per cent of the actual average yield for last 5 years. However, in February, 1987 the Government of India decided to make the scheme more attractive and beneficial to the farmers, by providing 3 rates of indemnifiable limits for Wheat and Paddy depending upon variability in yield. These rates are 80 per cent, 85 per cent and 90 per cent of the last 3 years' average yield. This decision is effective from Rabi 1986-87 season.

श्रम मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन

476. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कभी कोई प्रयास किया गया है कि राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के वार्षिक कार्य क्रम का शत प्रतिशत कार्यान्वयन अभी तक क्यों नहीं किया गया है;

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा हिन्दी अनुभाग की फाइलों को छोड़कर ऐसी फाइलों की संख्या कितनी है जिनमें राजभाषा में, अर्थात् हिन्दी में काम किया जा रहा है;

(ग) मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम काम कर रहे हैं और प्रत्येक उपक्रम में राजभाषा से संबंधित कार्य के बारे में क्या स्थिति है; और

(घ) मंत्रालय में हिन्दी, अंग्रेजी और द्विभाषी कम्प्यूटरों, टेलेक्सों, टेलीप्रिंटरों आदि की संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की समय-समय पर आयोजित बैठकों में ऐसे मूल्यांकन किये जाते हैं और राजभाषा अधिनियम तथा हिन्दी के

प्रगामी प्रयोग संबंधी वार्षिक कार्यक्रम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के उपाय किये जाते हैं।

(ख) ऐसी फाइलों का रिकार्ड रखना संभव नहीं है, जिन पर केवल हिन्दी में ही काम किया जाता हो, क्योंकि मंत्रालय में फाइलों पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाता है।

(ग) इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम नहीं है।

(घ) इस मंत्रालय में हिन्दी, अंग्रेजी और द्विभाषी कम्प्यूटरों, टेलेक्सों, टेलीप्रिंटरों आदि की संख्या नीचे दी गई है :—

उपकरण का नाम	रोमन	देवनागरी	द्विभाषी
टाईपराइटरों की संख्या	189	43	—
इलैक्ट्रिक टाईपराइटरों की सं०	10	—	—
टेलीप्रिंटरों की संख्या	1	—	—
टैलेक्सों की संख्या	2	—	—
कम्प्यूटरों की संख्या	1	—	—

पर्यटन मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन

477. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कभी कोई प्रयास किया गया है कि राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम का शत प्रतिशत कार्यान्वयन अभी तक क्यों नहीं किया गया है;

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा हिन्दी अनुभाग की फाइलों को छोड़कर ऐसी फाइलों की संख्या कितनी है जिनमें राजभाषा में, अर्थात्, हिन्दी में काम किया जा रहा है;

(ग) मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम काम कर रहे हैं और प्रत्येक उपक्रम में राजभाषा से संबंधित कार्य के बारे में क्या स्थिति है; और

(घ) मंत्रालय में हिन्दी, अंग्रेजी और द्विभाषी कम्प्यूटरों, टेलेक्सों, टेलीप्रिंटरों आदि की संख्या कितनी है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति/ हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों में इस तरह का मूल्यांकन किया जाता है।

(ख) ऐसी फाइलों की संख्या में, जिनमें हिन्दी में काम किया जा रहा है, पत्राचार के स्वरूप पर निर्भर रहते हुए समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है।

(ग) एक, यथा भारत पर्यटन विकास निगम। राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों का यथा संभव अनुपालन किया जा रहा है।

(घ) सभी कम्प्यूटर, एक टैलेक्स और एक टेलीप्रिंटर अंग्रेजी में हैं। तथापि, हिन्दी के 13 टाइपराइटर हैं।

राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन

478. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कभी कोई प्रयास किया गया है कि राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और हिन्दी